न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
44/2024	12.02.2024	14.03.2024

उनवान

1. पारस देवी विश्नोई पत्नी हीरा लाल विश्नोई उम्र वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

. लाल सिंह पिता बरदा सिंह उम्र वयस्क निवासी मण्डपिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

शम्भु पिता भैरू जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी मण्डपिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

धापू पत्नी भैरू जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी मण्डपिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा राज0

—विपक्षीगण

ास्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी कैलाश राव

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 03 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: निर्णय :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र ्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ा मण्डपिया प0ह0 मुझरास भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गुरला तहसील व जिला भीलवाडा जमाबन्दी संवत 2069—2073 के खाता संख्या 105 की अभिलिखित आराजियात 409/111,)/111 कुल किता 02 कुल रकबा 2.5796 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे ्त की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की ाजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः ्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई ा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये ोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 03 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता स्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। जैर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी ाजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन ्न किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का वलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात रबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन त्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में केत भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि ना मण्डपिया प0ह0 मुझरास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गुरला तहसील व जिला भीलवाडा जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 105 की अभिलिखित आराजियात 409/111, /111 कुल किता 02 कुल रकबा 2.5796 हैक्टयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में ानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की वाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर ांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया र पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा श्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में ाई जावे। निर्णय आज दिनांक 14.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा